कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 709 कैम्प-प्र.अ. विकास/01 सर्कुलर/17   दिनांक 26/09/17

परिपत्र

प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर विभिन्न प्रकार के स्पीड ब्रेकर बने हुए पाए जाते हैं, जो कि मानक के अनुरूप नहीं हैं एवं मानक के अनुरूप न होने के कारण तथा विभिन्नता होने के कारण कतिपय प्रकरणों में बेतरतीब बने हुए स्पीड ब्रेकर के कारण दुर्घटनाएं होती हैं तथा यातायात को असुविधा उठानी पड़ती है। स्पीड ब्रेकर तथा रम्बल स्ट्रिप के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिपत्र सं0– RW/NH-11064/I/91-DOI दिनांक 28.06.1999 में विस्तृत जानकारी दी हुई है।

अतः एतद्द्वारा यह आदेश किए जाते हैं कि प्रदेश के मार्गों पर जो शहर से बाहर हैं, उन पर जहां आवश्यकता हो वहां पर रम्बल स्ट्रिप का प्राविधान किया जा सकता है।

रम्बल स्ट्रिप में 6 स्ट्रिप बनाई जाएं जिनके बीच Centre to Centre दूरी 1.0 मी0 हो एवं प्रत्येक स्ट्रिप की चौड़ाई 250 एम0एम0 एवं ऊँचाई 25 मिमी0 (1 इंच) हो। यह रम्बल स्ट्रिप मार्ग की पूरी चौड़ाई में बनाई जाए।

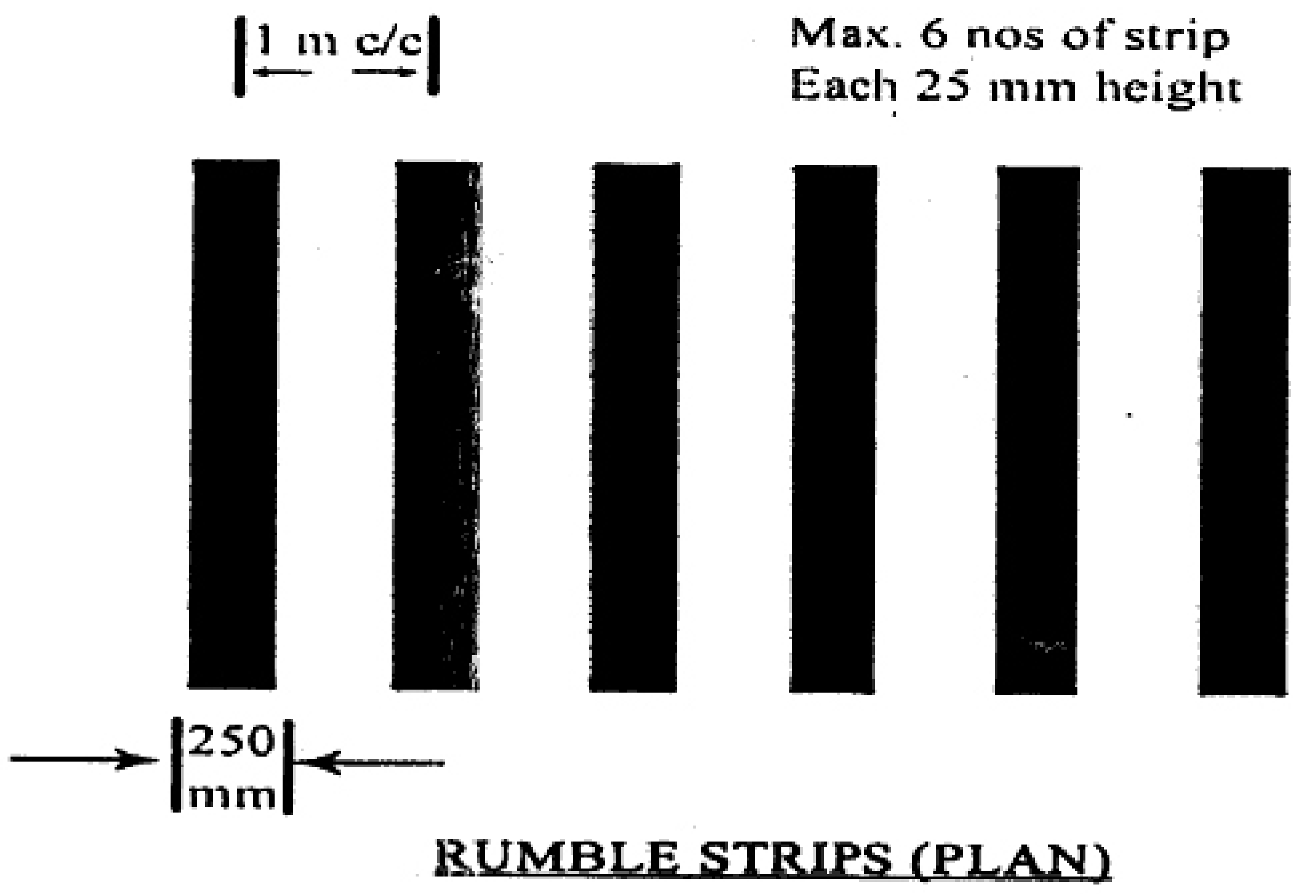

RUMBLE STRIPS (PLAN)

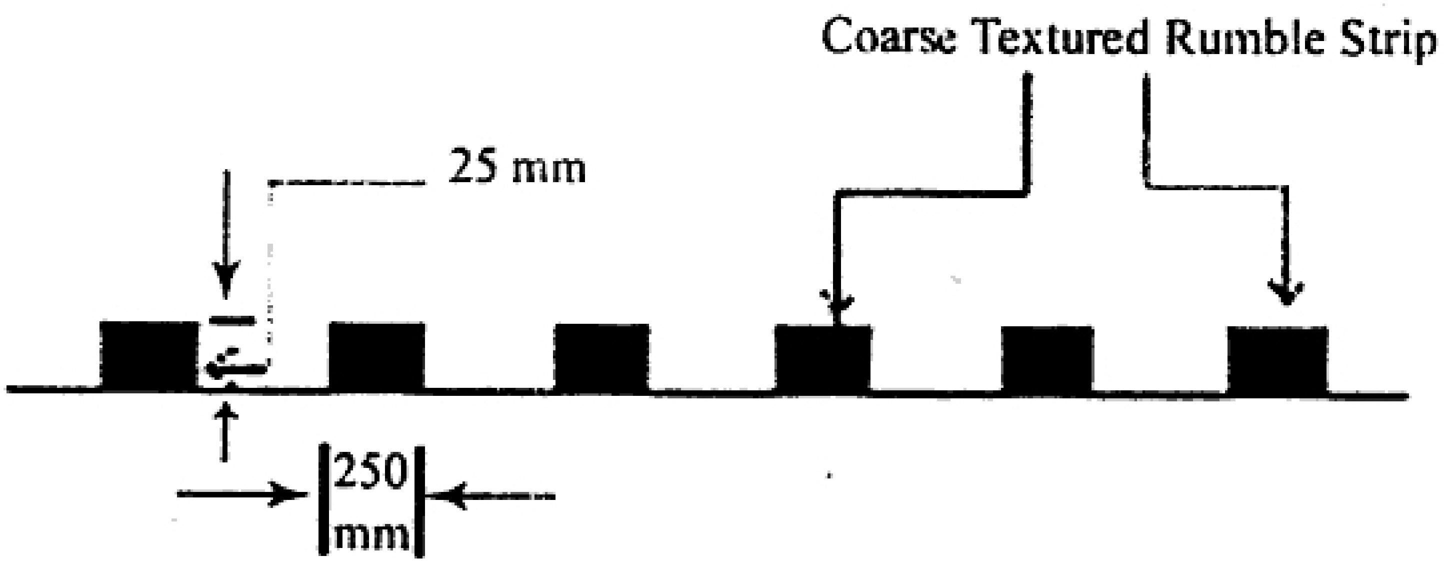

CROSS SECTION